RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : बुधवार 24 जनवरी 2024 वर्ष 05 अंक 273 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

CM एकनाथ शिंदे का जोरदार पलटवार

उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए बालासाहेब ठाकरे के विचार को धोखा दिया

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के अहंकार के कारण महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ। ठाकरे ने सत्ता के लिए बालासाहेब ठाकरे के विचार को धोखा दिया है। शिंदे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे के अहंकार के कारण महाराष्ट्र का उतना विकास नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था। हमने उनका साथ छोड़ा और राज्य की जनता के लिए यह फैसला लिया। हमने वे सभी परियोजनाएं शुरू कीं जो बंद थीं।

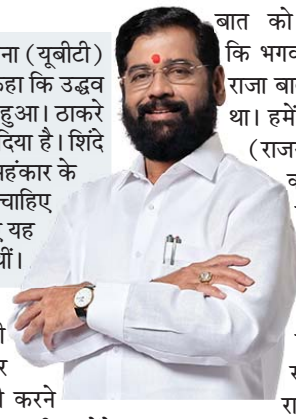

राज्य को समर्थन मिल रहा है और यह विकास कर रहा है। बोलने से पहले उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। आज लोग उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने सिर्फ सत्ता के लिए बाला साहेब ठाकरे के विचार को धोखा दिया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की तुलना रामायण के वानर राजा बाली से करते हुए उन पर उनकी पार्टी की चोरी करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने शिवसैनिकों से अपील की कि वे गद्दारोंका राजनीतिक वधकरने का संकल्प लें। नासिक में आयोजित शिवसेना राज्यव्यापी अधिवेशनमें बोलते हुए ठाकरे ने कहा, हमें इस बात को समझना होगा कि भगवान राम ने वानर राजा बाली को क्यों मारा था। हमें आज के बाली (राजनीतिक रूप से) को भी मारना होगा, जो हमारी शिवसेना को लेकर भाग गया है। हमें निश्चित रूप से उन सभी लोगों की राजनीतिक हत्या करनी होगी, जो शिवसेना को लेकर भाग गए। उन्होंने भगवा झंडे को धोखा दिया। बता दें कि वानर राज बाली ने कथित तौर पर एक विवाद के बाद अपने भाई सुग्रीव का राज्य हड़प लिया था।

जरांगे पाटिल ने भरी हुंकार

बोले- जंग जारी, लेकर रहेंगे मराठा आरक्षण

मुंबई : मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल के मुंबई कूच को लेकर महायुति सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जरांगे अपने काफिले के साथ मुंबई की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। जिसमें भारी संख्या में उनके समर्थक जुड़ रहे हैं। उन्होंने अब तक सरकार की ओर से की गई सारी अपील को ठुकराते हुए कहा कि वे मराठा आरक्षण को लेकर ही दम लेंगे। मंगलवार को जरांगे पुणे पहुंचे। वहां उन्होंने साफ किया कि मराठा आरक्षण हासिल करने तक उनकी जंग जारी रहेगी।

लोनावाला में बड़ा कैंप, 10 लाख चपाती की व्यवस्था

जरांगे अपनी मार्च के तहत 24 जनवरी की रात में लोनावाला में पहुंचेंगे। वहां उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा कैंप बनाया गया है। जरांगे अपने समाज के लोगों के सदस्यों के लिए लोनावाला में प्रत्येक घर से 25 चपाती और मूंगफली की चटनी देने की अपील की है। इस तरह लगभग दस लाख चपातियाँ, चटनी और पचास टैंकर पानी की व्यवस्था की गई है। वहां अस्थायी शौचालय बनाने की भी तैयारी चल रही है। मार्च के छठे दिन जरांगे 25 जनवरी को सुबह 8 बजे लोनावाला से अपने समर्थकों के साथ पनवेल के लिए रवाना होंगे। दोपहर का भोजन नवी मुंबई में, रात्रि विश्राम और खाना वाशी में होगा। सातवें दिन 26 जनवरी को वे वाशी से आजाद मैदान के लिए रवाना होंगे।

जरांगे ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वे करीब 3 करोड़ समर्थकों और 20 लाख गाड़ियों के साथ मुंबई पर धावा पर बोलेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर मुंबई में कानून-व्यवस्था की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जरांगे और उनके समर्थकों को मुंबई से बाहर वाशी में रोका जा सकता है।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बड़ा हादसा, वैनगंगा नदी में डोंगा पलटा, 6 महिलाएं डूबीं

चंद्रपुर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। वैनगंगा नदी में डोंगा (नाव) पलट जाने से मिर्च तोड़ने वाली छह महिलाओं की डूबने से मौत की आशंका है। दो महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए है, जबकि बाकी के तेज धारा में बह जाने की आशंका है। सभी महिलाएं खेत में काम करने के लिए जा रहीं थी। सूत्रों ने बताया कि सभी महिलाएं एक मिर्च किसान के यहां काम करती थी और मजदूरी के लिए डोंगा से मालिक के खेत की ओर जा रही थीं, तभी गणपुर के पास डोंगा पलट गई। इसमें से दो महिलाएं किसी तरह बच गईं, जबकि छह महिलाएं नदी की तलहटी में डूब गईं।

मुंबई में क्यों शुरू हुआ यूपी के सीएम योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन?

>> उत्तर प्रदेश के सीएम योगी मॉडल की तर्ज पर मुंबई में कार्रवाई

>> मुंबई की मीरा रोड पर भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर से एक्शन

>> प्रशासन की तरफ से ध्वस्त किए जा रहे है गैरकानूनी निर्माण

>> देवेंद्र फडणवीस ने 21 जनवरी की हिंसा पर लिया था संज्ञान

मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। प्रशासन ने मायानगरी मुंबई की मीरा रोड पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का बड़ी कार्रवाई शुरू की है। हाल के सालों में यह पहला मौका है जब मुंबई योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच में मीरा रोड पर अवैध निमार्णों को धवस्त किया गया। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश जब आतुरता के साथ इंतजार कर रहा था, तब मुंबई की मीरा रोड के नया नगर इलाके में निकाली गई

राम मंदिर शोभायात्रा पर हमले की घटना सामने आई थी। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में महज 48 घंटे के अंतराल पर इस इलाके में बुलडोजर एक्शन लिया है। यह कार्रवाई मीरा भायंदर कॉरपोरेशन की तरफ से की गई है।

क्यों हुआ बुलडोजर एक्शन?

मुंबई के मीरा रोड पर आने वाले नया नगर में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा से एक दिन पहले हिंसा की घटना हुई थी। या नगर में बाइक पर जा रहे कुछ युवकों को दूसरे समुदाय के लोगों ने जबरन रोक कर मारपीट की थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। जिसमें एक लड़के के सिर और गर्दन से खून निकल रहा था। इसके बाद मीरा रोड के आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया था। सरकार को इलाके में स्थिति को संभालने के बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी थी। राम मंदिर शोभायात्रा के वाहनों पर पथराव और तोड़फोड़ राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा था।

संभावित भूस्खलन वाले इलाकों में बनाओ सुरक्षा दीवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार का मुंबई मनपा को निर्देश

मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई महानगरपालिका को मुंबई उपनगर के चेंबूर, घाटकोपर, भांडुप आदि संभावित भूस्खलन वाले पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय योजना के रूप में सुरक्षात्मक दीवार बनाने का निर्देश दिया है।

उपमुख्यमंत्री ने राज्य के राहत और पुनर्वास को निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से आपदा निवारण के लिए निधि प्राप्त होने तक खर्च की प्रतिपूर्ति मुंबई महापालिका करें। मंगलवार को चेंबूर, घाटकोपर, भांडुप और अन्य स्थानों में पहाड़ियों के नीचे की बस्तियों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों की समीक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक हुई। बैठक में गृह निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर, मुंबई मनपा की अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे (वीडियो प्रणाली के माध्यम से), योजना विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ विजय, वित्त विभाग (वित्तीय सुधार) की सचिव शैला ए, आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक अप्पासाहेब धुळाज बैठक में उपस्थित थे।

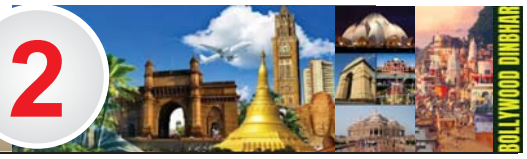

संपादकीय / लेख

इक्विटी फंडों का आकलन सही कदम

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) इक्विटी म्युचुअल फंड योजनाओं का व्यापक स्ट्रेस टेस्ट (फंडों का यह आकलन कि क्या वे शेयरों की बिक्री की स्थिति में भुगतान की स्थिति में हैं) करने तथा खतरनाक हालात से निपटने के उपाय अपनाने की दिशा में काम कर रहा है। बाजार नियामक की यह अपेक्षाकृत नई पहल है लेकिन यह पहले दौर के स्ट्रेस टेस्ट के बाद होगी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके परिणाम असंतोषजनक रहे। अधिक व्यापक स्ट्रेस टेस्ट शुरू करने के इस नीतिगत कदम के उचित तर्क हैं। इक्विटी फंडों में पूंजी की आवक जारी है और अधिकांश राशि खुदरा निवेशकों से आती है। निश्चित तौर पर प्रबंधन अधीन इक्विटी परिसंपत्तियों में से अधिकांश खुदरा फोलियो में है।

इतना ही नहीं निरंतर फंड की आवक फंड प्रबंधकों को विवश करती है कि वे अपने तय दायरे में और शेयरों की खरीद करें, भले ही शेयरों की निरंतर ऊंची कीमत होने के कारण बाजार तेज हो। यदि बाजार में गिरावट आती है तो लोग अपनी राशि निकालना शुरू कर देंगे। ऐसे में हो सकता है कि फंड लोगों को राशि चुकाने में दबाव महसूस करें क्योंकि उनको जल्दी पैसा लौटाना होगा। अगर फंडों को यह मांग पूरी करने के लिए बाजार में गिरावट के दौरान बिकवाली करनी पड़ी तो बिकवाली का यह दबाव आगे अधिक नुकसान की वजह बन सकता है। यदि ऐसा हुआ तो गिरावट का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और अफरातफरी की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह उन योजनाओं के इकाई धारकों के लिए नुकसानदेह साबित होगा जो स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों पर नजर रखते हैं क्योंकि इन शेयरों का नकदीकरण कम होता है।

ऐसे में संस्थागत बिक्री का एक बड़ा हिस्सा कीमतों नीचे की ओर दबाव बना सकता है। वायदा और विकल्प श्रेणी के बाहर छोटे शेयरों में सर्किट ब्रेक भी होता है जो कारोबार को ठप कर सकता है। यदि कारोबार करना असंभव हो गया पैसे की निकासी और मुश्किल हो जाएगी। कई परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने सक्रिय होकर पहले ही ऐसे परिदृश्य से बचने के उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने स्मॉलकैप और मिडकैप फंड में मोटा-मोटी निवेश लेना बंद कर दिया है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की प्रतिबद्धताओं का प्रबंधन करना हर दृष्टि से आसान है। परंतु नियामक का अधिक व्यापक स्ट्रेस टेस्ट कराना सही है जिससे यह पता चल सके कि किन योजनाओं में अधिक जोखिम हैं और उन बिंदुओं को चिह्नित किया जा सके जहां दबाव की स्थिति बन सकती है। उदाहरण के लिए इसमें फंड का विवेकपूर्ण इस्तेमाल शामिल किया जा सकता है ताकि इन स्थितियों में जबरन बिक्री से बचा जा सके।

जरूरत पड़ने पर सेबी अन्य उपायों पर भी विचार कर सकता है, मसलन फंड से धन निकालने की अवधि को बढ़ाना या अल्पावधि के फंड जुटाने की इजाजत देना ताकि लोगों द्वारा अचानक निकासी पर कमी न होने पाए। एक अन्य प्रश्न उत्पन्न होता है और वह है पारदर्शिता का। इसकी अपनी कमियां और खूबियां हैं। स्ट्रेस टेस्ट के मानक, प्रारूप और धारणाएं जटिल और अपारदर्शी हो सकते हैं। अगर फंड खतरे में नजर आते हैं तो क्या नियामक को स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे प्रकाशित करने चाहिए? यदि ऐसा हुआ तो समझदार निवेशक अपना पैसा व्यवस्थित तरीके से निकाल सकेंगे लेकिन इससे हड़बड़ाहट उत्पन्न हो सकती है। परंतु अगर नतीजों को सार्वजनिक नहीं किया गया तो निवेशकों को कोई मदद नहीं मिलेगी और उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। नियामकों को इस संदर्भ में निर्णय लेना होगा। शेयर बाजार की प्रकृति चक्रीय है। बाजार में हर तेजी के बाद गिरावट आती है और यह गिरावट बहुत तीव्र भी हो सकती है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

रोहित पवार के समर्थन में शरद पवार ! दोबारा ईडी दफ्तर जायेंगे...

मुंबई : ईडी ने बारामती एग्रो कंपनी मामले में एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता विधायक रोहित पवार को बुधवार (24 जनवरी) को पेश होने का निर्देश दिया है. उनसे पूछताछ की जाएगी. इस बीच आज (23 जनवरी) रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और इस जांच को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की. रोहित पवार बुधवार को पूछताछ के लिए मुंबई स्थित ईडी दफ्तर जाएंगे. उन्होंने कहा है कि वह इस बार ईडी को पूरा सहयोग करेंगे. रोहित पवार ने यह भी कहा है कि एनसीपी नेता शरद पवार और सुप्रिया सुले भी साथ आएंगे. तो इसमें दिख रहा है कि शरद पवाप उनके पीछे मजबूती से खड़े हैं. रोहित पवार ने कहा, ''इस उम्र में भी अगर महाराष्ट्र की ये स'ाद्रि उनके पीछे मजबूती से खड़ी है तो आपको और क्या चाहिए!'' रोहित पवार ने भी कहा है.

रोहित पवार ने क्या कहा?

रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदरणीय पवार साहब और महाराष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले और संविधान में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के साथ एकजुट रहें.

मेरे परिवार और छोटे बच्चों के लिए ये गंदी राजनीति समझ से परे है. लेकिन फिर भी सभी लोग मजबूती से मेरे साथ हैं.' कल भी खा लेना. स्वयं सुप्रियाताई और आदरणीय पवार साहब भी आ रहे हैं. उम्र का क्या हुआ? बड़े लोग युवाओं को अवसर भी देते हैं और मौके-मौके पर पिता के समान ढाल बनकर खड़े होते हैं. मेरे लिए, यह जबरदस्त है. इस उम्र में भी अगर महाराष्ट्र की ये स'ाद्रि उनके पीछे मजबूती से खड़ी है तो आपको और क्या चाहिए!'' इस बीच रोहित पवार की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है क्योंकि ईडी ने जांच के लिए समन जारी किया है. ईडी ने रोहित पवार से पूछा कि क्या बारामती एग्रो कंपनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से संबंधित नीलामी प्रक्रिया में शामिल थी? इस बारे में जांच कराई जाएगी.' इस बीच कुछ साल पहले शरद पवार से भी ईडी ने पूछताछ की थी. शरद पवार बहुत ही तत्परता से ईडी के दफ्तर पहुंचे थे. अब जब शरद पवार एक बार फिर रोहित पवार के साथ ईडी दफ्तर जाएंगे तो सभी का ध्यान इस पर केंद्रित हो गया है.

शराब के नशे में अपनी 11 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न...

हैवान पिता को 3 साल की जेल

मुंबईः विशेष POCSO अदालत ने सोमवार को शराब के नशे में अपनी 11 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 38 वर्षीय पिता को तीन साल कैद की सजा सुनाई। जुहू निवासी व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी और पीड़िता की मां की शिकायत पर 27 जनवरी, 2017 को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। मां ने दावा किया कि उसने अपनी बेटी के अश्लील कृत्यों के बारे में खुलासा करने के बाद मामला दर्ज किया था। जब वह काम पर थी तो उसके पति ने उसका यौन उत्पीड़न किया।

जब सरकारी वकील विनोद मोरे ने पूछताछ की तो लड़की ने अपनी गवाही में कहा कि जब भी वह स्कूल से घर वापस आती थी, तो उसके पिता उसे गलत तरीके से छूते थे। इसके अलावा, लड़की ने दावा किया कि उसके पिता उसे धमकी देते थे कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसकी मां को मार डालेगा। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि आरोपी अक्सर लड़की को फोन करता था और उससे 'आई लव यू' कहने के लिए कहता था। 2016 में डेंगू से पीड़ित होने का पता चलने पर पीड़िता ने अपने पिता के उत्पीड़न का खुलासा करते हुए अपनी मां से उसे अकेला न छोड़ने की गुहार लगाई। रोते हुए, पीड़िता ने अगस्त 2016 से घर पर अकेले रहते हुए पिता द्वारा अनुचित स्पर्श का खुलासा किया। पीड़िता की मां ने बाद में अपनी बेटी की छुट्टी के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की, जैसा कि उसके साक्ष्य में दावा किया गया है।

नाना पटोले ने बीजेपी पर हमला किया

मुंबई : महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम के नगांव में एक मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला किया। इससे पहले दिन में, राहुल गांधी ने अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ असम के नगांव में धरना दिया, जब उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें राज्य के समाज सुधारक संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली बताद्रवा थान जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कांग्रेस नेता पटोले ने घटना की निंदा की और कहा, ''एक तरफ राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी को असम के एक मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ वे राम के बारे में बात करते हैं और रावण की तरह व्यवहार करते हैंङ्घ हमारे राम हमें अहिंसा सिखाते हैं लेकिन जिस तरह से वे राहुल गांधी के काफिले पर पथराव कर रहे थे।''

इस बीच, गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जब नगांव में उन पर हमला करने वाली राहुल गांधी की टिप्पणी पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई, तो उन्होंने कहा, ''आप आज रावण के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कम से कम आज राम के बारे में बात करें। हमारे पास राम के बारे में बात करने का अवसर है।'' 500 साल बाद। हमें केवल उसके बारे में बात करनी चाहिए, रावण के बारे में नहीं।'' इससे पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से नहीं डरती है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अगर सोचती है कि सबसे पुरानी पार्टी डरी हुई है तो वह दिवास्वप्न देख रही है।

मुंबई हवाई अड्डे से 1.74 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त... !

मुंबई : सोने की तस्करी के चार अलग-अलग मामलों में, मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने शनिवार को सामूहिक रूप से 1.74 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया। पुलिस के अनुसार, पहले तीन मामलों में, गुलाम दस्तगीर रहमानी, मोहम्मद इकबाल और फजल खान के रूप में पहचाने गए आरोपियों को तस्करी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक ही कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए पाया गया था। एक सीमा शुल्क अधिकारी ने कहा, ''संदिग्धों के सामान की जांच की गई और इसके परिणामस्वरूप सोना बरामद हुआ। प्रत्येक यात्री ट्रॉली बैग में तार से बंधा एक किलोग्राम सोना ले जा रहा था। जब्त किए गए सोने की कुल कीमत 1.63 करोड़ रुपये है।''

उन्होंने कहा, ''संदिग्ध एक ही फ्लाइट से जेद्दाह से आए थे और अब हम जांच कर रहे हैं कि उन्हें सोना किसने मुहैया कराया और क्या वे उसी तस्करी सिंडिकेट से जुड़े थे। इसके अलावा, हम खेप प्राप्त करने वालों के बारे में भी जांच कर रहे हैं।'' चौथे मामले में, सीमा शुल्क अधिकारियों ने मोहम्मद अनीस नामक व्यक्ति को रोका था, जो शनिवार को दुबई से मुंबई आया था। अधिकारियों ने व्यक्तिगत तलाशी के दौरान यात्री की बनियान में छिपाई गई सोने की धूल जब्त कर ली थी। उक्त सोने का कुल वजन 210 ग्राम है जिसकी कीमत 11.69 लाख रुपये है। अधिकारी ने कहा, ''हम जांच कर रहे हैं कि यात्री को उक्त सोना किसने आपूर्ति किया था और इसे मुंबई में किसे प्राप्त करना था।''

मराठा आरक्षण : 31 जनवरी तक सर्वेक्षण...

मुंबई : मराठा आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार की उपचारात्मक याचिका के समर्थन में राज्यभर में सवा लाख से अधिक गणनाकारों एवं अधिकारियों की मदद से अनिवार्य सर्वेक्षण शुरू होगा. राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि गणनाकारों को इस प्रक्रिया को त्रुटिहीन रखने का निर्देश दिया गया है. यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी. उन्होंने एक बयान में कहा कि अधीक्षकों और अधिकारियों समेत सवा लाख से अधिक गणनाकारों को यह कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है. उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है. राज्य के सभी 36 जिलों, 27 नगर निगमों और सात छावनी बोर्ड में सर्वेक्षण मंगलवार को शुरू होगा जो 31 जनवरी तक चलेगा. पाटिल ने कहा कि राजस्व विभाग महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए यह काम कर रहा है.

क्या मुंबई की सड़कें बंद कर देनी चाहिए ?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार... बीएमसी अधिकारियों से 15 फरवरी तक मांगा जवाब।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की सड़कों को बंद किए जाने को लेकर अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या मुंबई की सड़कों को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि नगर निगम कर्मचारी मराठा आरक्षण के सर्वेक्षण कार्य और चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं।

मौतों के संबंध दायर की गई थी याचिका

मुंबई में गड्ढों से हुई मौतों के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी।याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय और जज आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को फटकार लगाई। उन्होंने मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने के लिए बीएमसी द्वारा दिए गए बहाने की निंदा की।

दरअसल, अधिवक्ता रूजू ठक्कर द्वारा दायर एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मुंबई और आसपास के इलाकों में सभी सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत का निर्देश देने वाले 2018 के हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने में विफल रहने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी।

बीएमसी ने मांगा हलफनामा दाखिल करने का समय

दिसंबर में हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सभी नगर निकायों को याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को बीएमसी की ओर से पेश वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है। हाईकोर्ट ने बीएमसी को 15 फरवरी तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि हलफनामे में यह भी बताया जाना चाहिए कि बीएमसी शहर में काम पूरा करने के लिए किस तारीख को योजना बना रही है।

ट्रैक मरम्मत कार्य के दौरान लोकल से टक्कर में तीन रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई

मुंबई: पश्चिमी रेलवे (डब्ल्यूआर) के तीन कर्मचारियों की पालघर जिले के वसई के पास एक लोकल ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जब वे सिग्नलिंग की समस्या ठीक कर रहे थे, पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार रात 8.55 बजे वसई रोड और नायगांव स्टेशनों के बीच हुई जब लोकल चर्चगेट की ओर जा रही थी। मृतकों की पहचान मुख्य सिग्नलिंग इंस्पेक्टर (भायंदर) वासु मित्रा, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग मेंटेनर (वसई रोड) सोमनाथ उत्तम लाम्बुत्रे और हेल्पर सचिन वानखड़े के रूप में की गई। उन्होंने कहा कि ये सभी

कर्मचारी पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन के सिग्नलिंग विभाग से थे।

अधिकारी ने कहा, वे कुछ सिग्नलिंग बिंदु को ठीक करने गए थे जो सोमवार शाम को खराब हो गया था। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने तीनों मृतकों के परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत के तौर पर 55,000 रुपये का भुगतान किया है.

मुंबई में उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मीरा रोड में हुआ था बवाल

मीरा रोड : मीरा रोड के नया नगर में उपद्रवियों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है. योगी मॉडल की तर्ज पर मुंबई में भी एक्शन देखने को मिला है. 21 जनवरी की रात श्रीराम झंडे वाले वाहनों को तोड़कर लोगों के साथ मारपीट की गई थी. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इलाके के अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी.

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 3 गिरफ्तार

मुंबई : शहर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कम से कम चार मामले दर्ज होने के बाद मुंबई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, पुलिस ने मंगलवार को कहा। सभी चार घटनाएं 22 जनवरी को दर्ज की गईं, उसी दिन जब अयोध्या के राम मंदिर में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया था। पहली घटना में, मुंबई के वकोला इलाके में पिंपलेश्वर मंदिर में प्रार्थना के दौरान भगवान राम के झंडे का अपमान करने के आरोप में 27 वर्षीय सऊद कुरेशी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 295, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है. गोवंडी पुलिस द्वारा संभाले गए दूसरे मामले में, 23 वर्षीय पृथ्वीराज जोगदंड को गिरफ्तार किया गया, जो महाराष्ट्र के लातूर का निवासी है। उन्होंने कथित तौर पर अपने मोबाइल पर भड़काऊ स्टेटस पोस्ट किया, जिसके परिणामस्वरूप आईपीसी की धारा 153 (ए) और 295 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस बीच, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में मुफीज अहमद नाम के 55 वर्षीय व्यक्ति को एक सोसायटी के गेट से भगवान राम की तस्वीर वाला झंडा हटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर मुफीज अहमद ने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर झंडा हटा दिया, जिससे समाज में तनाव फैल गया।उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153(ए), 295(ए), 505(2) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मुंबई के वीपी रोड इलाके में दर्ज एक अलग घटना में, अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर इस्लामपुरा में एक बाइक रैली के प्रतिभागियों को धमकी दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें क्षेत्र में प्रवेश न करने की चेतावनी दी गई थी और ऐसा करने पर हिंसा की धमकी दी गई थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506(2), 341, 298, 504 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है. अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को आयोजित की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम लला की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में घंटे भर चले अनुष्ठान के बाद किया गया, जिन्होंने समारोह का नेतृत्व किया।

'यह मुंबई है, यूपी नहीं'... वायरल वीडियो में लोगों को भड़काने वाला शख्स गिरफ्तार

मुंबई: दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में भारी सुरक्षा तैनात की गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोगों को भड़काने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.अबू शेहमा शेख को उनके फेसबुक पोस्ट के संबंध में नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153 ए, 505 (2) और आईटी अधिनियम की धारा 66 सी के तहत गिरफ्तार किया गया था।अपने वायरल वीडियो में शेख को यह कहते हुए सुना गया, ''यह यूपी नहीं है, यह मुंबई है।'' इसके बाद वह सांप्रदायिक टिप्पणी करने लगता है जिससे वह मुसीबत में पड़ गया है।

स्थानीय पुलिस, मुंबई पुलिस, पालघर पुलिस, ठाणे ग्रामीण पुलिस, आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स), एमएसएफ (महाराष्ट्र सुरक्षा बल) और एसआरपीएफ को इलाके में तैनात किया गया है।डीसीपी जयंत बजबले ने कहा, ''मुंबई से सटे मीरा रोड में दो समुदायों के बीच झड़प के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अबू शेख नाम के एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह

लोगों को भड़काते हुए नजर आया। जिस शख्स ने यह वीडियो पोस्ट किया है। गिरफ्तार कर लिया गया है और मीरा भयंदर पुलिस ने दो दिन की हिरासत मांगी है।'' 21 जनवरी की रात मीरा रोड पर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई.मीरा भयंदर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्रीकांत पाठक ने सभी से क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की।

''हम घटना की जांच कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस ने समय पर कार्रवाई की है। हम सीसीटीवी फुटेज देखकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। छोटे-मोटे शरारती तत्व अभी भी हैं।'' उपद्रव पैदा करने की कोशिश करें,'' उन्होंने कहा।नयानगर में हिंसा को लेकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस बीच, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के निर्देश पर तेरह लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है, उपमुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, ''मीरा के नयानगर इलाके में हुई घटना की पूरी जानकारी- भायंदर को कल रात ही ले जाया गया था। सोमवार सुबह 3.30 बजे तक मैं मीरा-भायंदर पुलिस कमिश्नर से लगातार संपर्क में था। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अन्य आरोपियों की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'' पुलिस उपायुक्त जयंत बाजबले के मुताबिक, ''रविवार रात करीब 11 बजे दोनों समुदायों के बीच संघर्ष तब शुरू हुआ, जब हिंदू समुदाय के कुछ लोग मीरा रोड से सटे नया नगर इलाके में 3-4 गाड़ियों में नारे लगा रहे थे.''

बॉम्बे हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया निर्देश

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को विदेश मंत्रालय से कहा कि वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय उच्चायुक्त (आईएचसी) से उस व्यक्ति को जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को सत्यापित करने के लिए कहे, जो अस्पताल में कोमा में है। लगभग दो वर्षों तक अबू धाबी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के डॉक्टरों के एक पैनल ने कहा कि उनकी चिकित्सा स्थिति का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आकलन नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की पीठ ने यह निर्देश पारित किया। पीठ ने कहा, ''हमारे पास संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय उच्चायुक्त से प्रमाणित करने और (व्यक्ति) की स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि करने का अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जैसा कि एएल दहनाह अस्पताल, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।''HC ने एम्स के डॉक्टरों को 2023 में व्यक्ति के स्वास्थ्य का आकलन करने का निर्देश दिया. इससे पहले, उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर को एम्स को अबू धाबी अस्पताल में उसका इलाज कर रहे स्थानीय सरकारी डॉक्टरों के परामर्श से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाने और एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : बुधवार 24 जनवरी 2024

कानून के मुताबिक केस डायरी मेंटेन नहीं रखने पर बॉम्बे हाई कोट ने पुलिस को लगाई फटकार

डीजीपी को दिए निर्देश...

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में कानून के मुताबिक केस डायरी मेंटेन नहीं रखने पर पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को इस मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने 16 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि उसे नियमित रूप से ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां कानून के अनुसार पुलिस द्वारा केस डायरी का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला ?

पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी उज्बेकिस्तान नागरिक पत्नी को अपनी एक महीने की बेटी को वापस लेने की मांग की थी। दरअसल, शख्स ने कोर्ट को सूचित किया था कि पत्नी और उसका परिवार बच्ची को भगा कर पंजाब के अमृतसर में एक दोस्त के आवास पर ले गए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर भी रिहा कर दिया गया।

याचिकाकर्ता की पत्नी की ओर से पेश वकील पद्मा शेलटकर ने अदालत को सूचित किया कि गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करके की गई थी और गिरफ्तारी से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था। धारा 41ए के तहत, पुलिस को पहले आरोपी व्यक्ति को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफ्तारी की जाती है।

डीजीपी को दिए निर्देश

इसके बाद पीठ ने केस डायरी सहित पुलिस जांच दस्तावेजों का अवलोकन किया। पीठ ने कहा कि केस डायरी सीआरपीसी की धारा 172 (1-बी) की 'पूरी तरह से अवहेलना' में रखी गई थी। इसके मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा कई आदेश पारित किए गए और महाराष्ट्र के डीजीपी द्वारा परिपत्र जारी किए गए, जिसमें जांच अधिकारियों को कानून के अनुसार सभी मामलों में केस डायरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

इस तरह के निर्देश जारी करने में हो रही परेशानी

अदालत ने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि डीजीपी द्वारा जारी निर्देश निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों तक नहीं पहुंचे हैं, जो जमीनी स्तर पर जांच कर रहे हैं और सर्कुलर पुलिस स्टेशनों की फाइलों में ही रह गई है।' पीठ ने कहा कि इस तरह के निर्देश जारी करने में परेशानी हो रही है, लेकिन नियमित रूप से ऐसे उल्लंघनों का सामना हो रहा है। पीठ ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि डीजीपी सभी पुलिस अधिकारियों से राज्य में सर्वोच्च पुलिस प्राधिकरण द्वारा जारी निदेर्शों का पालन करने में गंभीरता बरतें और ऐसे निदेर्शों को हल्के में और/या लापरवाही से न लें।' अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की इच्छा के अनुसार पालन करने और उल्लंघन न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अदालत ने कहा कि वह उम्मीद करती है कि डीजीपी कड़े उपचारात्मक उपाय अपनाएंगे। पीठ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा 'यह एक गंभीर विषय है। केस डायरी (वर्तमान में) न केवल ढीली पड़ गई है, बल्कि ये पूरी तरह से बिखरी चुकी है।'

धारा 41ए के तहत किसको दिया जाता है नोटिस

अदालत ने डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने और संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि वह यह जानकर भी हैरान है कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस आरोपी व्यक्ति (याचिकाकर्ता की पत्नी) को नहीं दिया गया और पंजाब में सह-अभियुक्त के एक रिश्तेदार को दिया गया था। पीठ ने कहा कि यह कानून के अनुरूप नहीं है और धारा 41ए के तहत नोटिस केवल आरोपी को ही दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि हम जांच पुलिस अधिकारी द्वारा अपनाए गए नोटिस की सेवा के ऐसे नए विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह संबंधित अधिकारी द्वारा धारा 41-ए का स्पष्ट उल्लंघन है और इस पर पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी यानी महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि वह अनुपालन के लिये इस मामले पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगी।

नवी मुंबई में जौहरी से 1.9 करोड़ रुपये के सोने की ठगी

एक के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे : नवी मुंबई में एक जौहरी से 1.9 करोड़ रुपये के सोने की धोखाधड़ी करने के आरोप में आभूषण की एक दुकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर, पुलिस ने सोमवार को मुंबई के झवेरी बाजार में आभूषण की दुकान के मालिक रंजीतसिंह भवरसिंह सिसोदिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया। कामोटे के एक जौहरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसने पिछले साल अक्टूबर में आभूषण बनाने के लिए सिसोदिया को 1.9 करोड़ रुपये मूल्य का 3.8 किलोग्राम सोना दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने बाद में दावा किया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने उसकी दुकान पर छापा मारा था। अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने पूछताछ की तो पता चला कि ऐसी कोई छापेमारी नहीं हुई थी। जब शिकायतकर्ता ने सिसोदिया से अपना सोना वापस करने के लिए कहा, तो उसने उसे गोलमोल जवाब दिया, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। अधिकारी ने बताया कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मराठा सर्वे से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित?

मुंबई: मराठा आरक्षण के लिए खुली श्रेणी के नागरिकों का सर्वेक्षण आज, मंगलवार से होगा. अगले तीन दिनों तक सर्वे चलेगा और इसकी जिम्मेदारी नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को दी गई है. चूंकि यह काम अस्पतालों के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी करना होगा, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ने का डर है. साथ ही शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है.

सर्वे 23 से 25 जनवरी तक चलेगा और फिर लगातार तीन दिन छुट्टी है. इससे छह दिनों तक प्रशासनिक कामकाज का बोझ बढ़ने की आशंका है. नगर निगम के केईएम, नायर, शिव, कूपर मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ उपनगरीय अस्पतालों के 75 प्रतिशत कर्मचारी और अधिकारी भी तीन दिनों तक सर्वेक्षण कार्य करेंगे। इससे तीन दिनों तक अस्पताल का कामकाज प्रभावित रहेगा. उसके बाद लगातार तीन दिनों की छुट्टियां हैं, यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी और उसके बाद चौथा सप्ताहांत। इसलिए अस्पताल प्रशासन को अस्पताल के कामकाज पर अतिरिक्त दबाव पड़ने का डर है.

शिक्षा विभाग पर भी असर

इस सर्वेक्षण में मुंबई नगर निगम के विभिन्न विभागों के छह हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इस कार्य में शिक्षा विभाग के अधिकतम 3 हजार 500 कर्मचारी लगेंगे तो नगर पालिका और उससे संबद्ध स्कूलों के अधिकांश शिक्षक सर्वे कार्य में जायेंगे. आशंका है कि इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी.

ठाणे में मरम्मत कार्य के बाद पानी की कमी

ठाणे: एक्वाडक्ट की मरम्मत के काम के कारण ठाणे नगर निगम की अपनी योजना और एसटीईएम प्राधिकरण से ठाणे शहर को पानी की आपूर्ति शुक्रवार को 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई। हालांकि शनिवार को दोनों स्रोतों से जलापूर्ति शुरू हो गई है, लेकिन यह कम दबाव पर है। इसके चलते सोमवार को भी ठाणे, घोड़बंदर इलाके के निवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। इस बीच, नगर पालिका ने शहर में पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए एसटीईएम प्राधिकरण से अतिरिक्त पानी लेने का फैसला किया है।

ठाणे नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन चार स्रोतों से 585 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। इसमें नगर निगम की अपनी योजना से 250 मिलियन लीटर, एसटीईएम प्राधिकरण से 115 मिलियन लीटर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से 135 मिलियन लीटर और मुंबई नगर निगम से 85 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है।

इसलिए ये सभी स्रोत शहर में जलापूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इनमें पानी पाइपलाइन मरम्मत कार्य के कारण शुक्रवार को एसटीईएम और नगर निगम योजना से पानी की आपूर्ति चौबीस घंटे के लिए बंद कर दी गई। इसके कारण घोड़बंदर रोड, लोकमान्यनगर, वर्तकनगर, साकेत, रितुपार्क, जेल, गांधीनगर, रुस्तमजी, सिद्धांचल, इंदिरानगर, रूपादेवी, श्रीनगर, समतानगर, सिद्धेश्वर, इटरनिटी, जॉनसन, मुंब्रा और कलवा के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति बंद हो गई। शहर में 365 मिलियन लीटर पानी की कटौती की गई और वास्तव में केवल 220 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की गई। इसलिए, गुरुवार को जलसेतु की मरम्मत के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की जल आपूर्ति योजना के तहत पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई। इस जल बंदी के कारण शहर में कई जगहों पर पानी की कमी की समस्या उत्पन्न हो गयी है. शनिवार को तीनों स्रोतों से जलापूर्ति शुरू हो गयी. लेकिन, कम दबाव के कारण कमी की समस्या सोमवार तक बनी रही.

ठाणे में टमाटर से लदा ट्रक पलटा, 5 घंटे तक यातायात प्रभावित...

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे शहर में टमाटर ले जा रहा एक ट्रक मंगलवार को सुबह एक व्यस्त सड़क पर पर पलट गया, जिससे यातायात पांच घंटे तक प्रभावित रहा। एक नगर निकाय अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना तड़के चार बज कर करीब 14 मिनट पर घोड़बंदर रोड पर पाटलिपाड़ा पुल पर हुई। टमाटर ले जा रहा एक ट्रक घोड़बंदर की ओर जा रहा था, तभी पुल पर वह पलट गया। नागरिक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि वाहन से तेल का रिसाव हो गया और टमाटर सड़क पर बिखर गए। स्थानीय अग्निशमन कर्मियों और क्षेत्रीय आपदा राहत तंत्र (आरडीएमसी) के दस्ते ने सफाई अभियान चलाया। अधिकारी ने बताया कि इस दुर्घटना के कारण मार्ग पर यातायात पांच घंटे तक प्रभावित रहा।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com